भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 4038

(जिसका उत्तर गुरुवार, 21 मार्च, 2013/30 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

<u>निवेशकों का संरक्षण</u>

4038. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री इज्यराज सिंह :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे निवेशकों की जागरूकता और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) देश के विशेषकर छोटे शहरों, नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे निवेशकों को जागरूक बनाने और उनके संरक्षण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस उद्देश्य के लिए गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित और उपयोग में लाई गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) और (ख): कारपोरेट कार्य मंत्रालय तीन व्यावसायिक संस्थानों, नामत: भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान तथा भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के साथ मिलकर निवेशक जागरूकता कार्यक्रम संचालित करता है। ये कार्यक्रम विभिन्न नगरों एवं शहरों (छोटे शहरों सहित) में आयोजित होते हैं तथा इनमें विभिन्न भाषाओं में पुस्तिकाओं का वितरण शामिल है। इन पुस्तिकाओं की सामग्री इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.iepf.gov.in) पर उपलब्ध है। इन कार्यक्रमों से आम निवेशकों में अधिक जागरूकता आई है। निवेशक एमसीए21 पोर्टल पर इलेक्ट्रोनिक रूप में अपनी शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा भी उनकी वेबसाइट www.sebi.gov.in पर इसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक परिषद् के साथ मिलकर विभिन्न बैंकिंग गतिविधियों के बारे में अपने उपभोक्ताओं को शिक्षित करने तथा जागरूकता लाने के लिए “पहुंच कार्यक्रम” तथा “नगर भवन कार्यक्रम” संचालित करता है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट www.mca.gov.in पर एक उप साइट बनाया है जहां कंपनियों द्वारा निवेशकों को देय अदा न की गई एवं दावा न की गई राशियों का निवेशक-वार विवरण दायर करना अपेक्षित है। यह वेबसाइट निवेशकों, विशेषकर छोटे निवेशकों, को दावा न की गई एवं अदा न की गई राशियों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त कराती है।

(ग): मंत्रालय को निवेशक संरक्षण गतिविधियों के लिए प्रतिवर्ष बजट आवंटन प्राप्त होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित एवं उपयोग में लाई गई निधि का विवरण निम्नवत् है:-

(राशि रुपए में)

वित्त वर्ष	बजट	व्यय
2009-10	5,00,00,000/-	3,42,00,000/-
2010-11	5,00,00,000/	4,35,00,000/-
2011-12	5,00,00,000/	4,98,00,000/-

*****